उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 04/2011–12

जगमोहन राउत ....अपीलकर्त्ता

बनाम

16/– रैयत मौजा नया ढोलगड़िया ....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

03/05/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 04/2011–12 जगमोहन राउत बनाम् 16/– रैयत, मौजा नया ढोलगड़िया, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 51/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा मौजा नया ढोलगड़िया के दाग सं0 511 परती कदीम में जमींन बन्दोबस्ती हेतु आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया। इस पर अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा जांच प्रतिवेदन में अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया किन्तु मौजा के रैयतों द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल किये जाने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खरीज कर दिया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्त्ता मौजा में नहीं रहते है, जबकि उनका परिवार उक्त मौजा में रहते है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह जमाबन्दी रैयत है। अतः प्रधान को उनके साथ जमींन बन्दोबस्ती करने का आदेश दिया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति आवेदन के अबलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के साथ उक्त दाग में 1.20 डीसमल जमींन बन्दोबस्ती का अनुशंसा किया गया है किन्तु मौजा के रैयतों द्वारा अपने आपत्ति आवेदन में कहा है कि अपीलकर्त्ता मौजा का जमाबन्दी रैयत एवं भूमिहीन नहीं है। इसी आधार पर उनके आवेदन को निम्न न्यायालय में खरीज कर दिया गया है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा आपत्तिकत्ताओं के दावों पर जांच किये बिना ही अपीलकर्त्ता के आवेदन को खरीज कर दिया गया है जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुनर्विचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आपत्तिकर्त्ता के आवेदन पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।